

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 20/6/19

संख्या- 3/स्था0डी0-01-72/2018 523(3)/डॉ० अनिन्दया मित्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, राँची, के पद पर पदस्थापित करते हुए, ट्रेनिंग को-ऑर्डिनेटर, राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या- 3/स्था0डी0-01-72/2018 524(3)/डॉ० रंजित प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची अतिरिक्त प्रभार अधीक्षक ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त माईक्रोबायोलॉजिस्ट, राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या- 3/स्था0डी0-01-72/2018 525(3)/डॉ० मेघा प्रियदर्शिनी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाघरा, गुमला को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक चिकित्सा पदाधिकारी, राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- संबंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान कर विभाग को सूचित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
(प्रभुनाथ शर्मा)

सरकार के अवर सचिव

राँची/दिनांक : 20/6/19

ज्ञापांक:- 3/स्था0डी0-01-72/2018 525(3)
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना-सह-वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभुनाथ शर्मा)

सरकार के अवर सचिव

राँची/दिनांक : 20/6/19

ज्ञापांक :- 3/स्था0डी0-01-72/2018 525(3)
प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, एन०एच०एम०, झारखण्ड, राँची/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड, राँची/संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-4, 7, 8, 9, 18 एवं 19 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभुनाथ शर्मा)

सरकार के अवर सचिव